अरावली
एन्क्लेव

लखनऊ शहर में परिषद द्वारा संचालित वृन्दावन योजना सं.–3, सेक्टर–12 में प्रस्तावित स्ववित्त पोषित विशिष्ट बहुमंजिली (Basement + Stilt + 10 Storied)आवासीय परियोजना।

BIRD EYE VIEW

SITE PLAN

GREEN BELT
ENTRY
GREEN BELT
12 M WIDE SETBACK
14.5 M WIDE SETBACK
9 M WIDE ROAD
6 M WIDE ROAD
6 M WIDE ROAD
2 WHEELER PARKING
2 WHEELER PARKING
RAMP
RAMP
6 M WIDE ROAD
GREEN BELT
CLUB HOUSE
14.5 M WIDE SETBACK
9 M WIDE ROAD

2 BHK - ISOMETRIC VIEW

3 BHK - ISOMETRIC VIEW

3 BHK + SERVANT - ISOMETRIC VIEW

2 BHK - CLUSTER PLAN

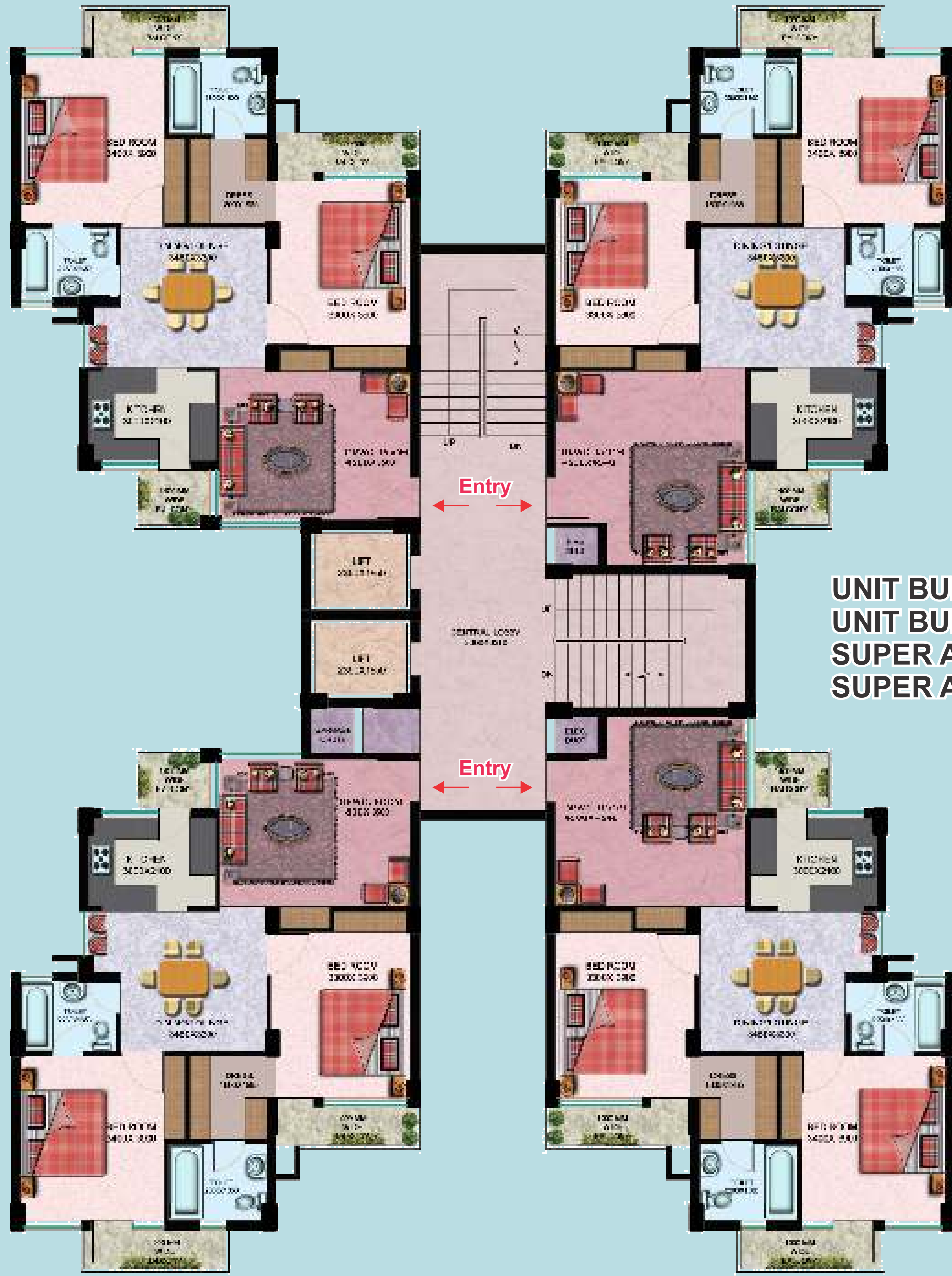

UNIT BUILT UP AREA C1 = 97.29 sqm.
UNIT BUILT UP AREA C2 = 100.83 sqm.
SUPER AREA/UNIT C1 = 116.10 sqm.
SUPER AREA/UNIT C2 = 119.64 sqm.

सभी मापें मिलीमीटर में हैं।

2 BHK - C1 TYPE UNIT PLAN

UNIT BUILT UP AREA - 97.29 sqm.
SUPER AREA - 116.10 sqm.

सभी मापें मिलीमीटर में हैं।

2 BHK - C2 TYPE UNIT PLAN

UNIT BUILT UP AREA - 100.83 sqm.
SUPER AREA - 119.64 sqm.

सभी मापें मिलीमीटर में हैं।

3 BHK CLUSTER PLAN

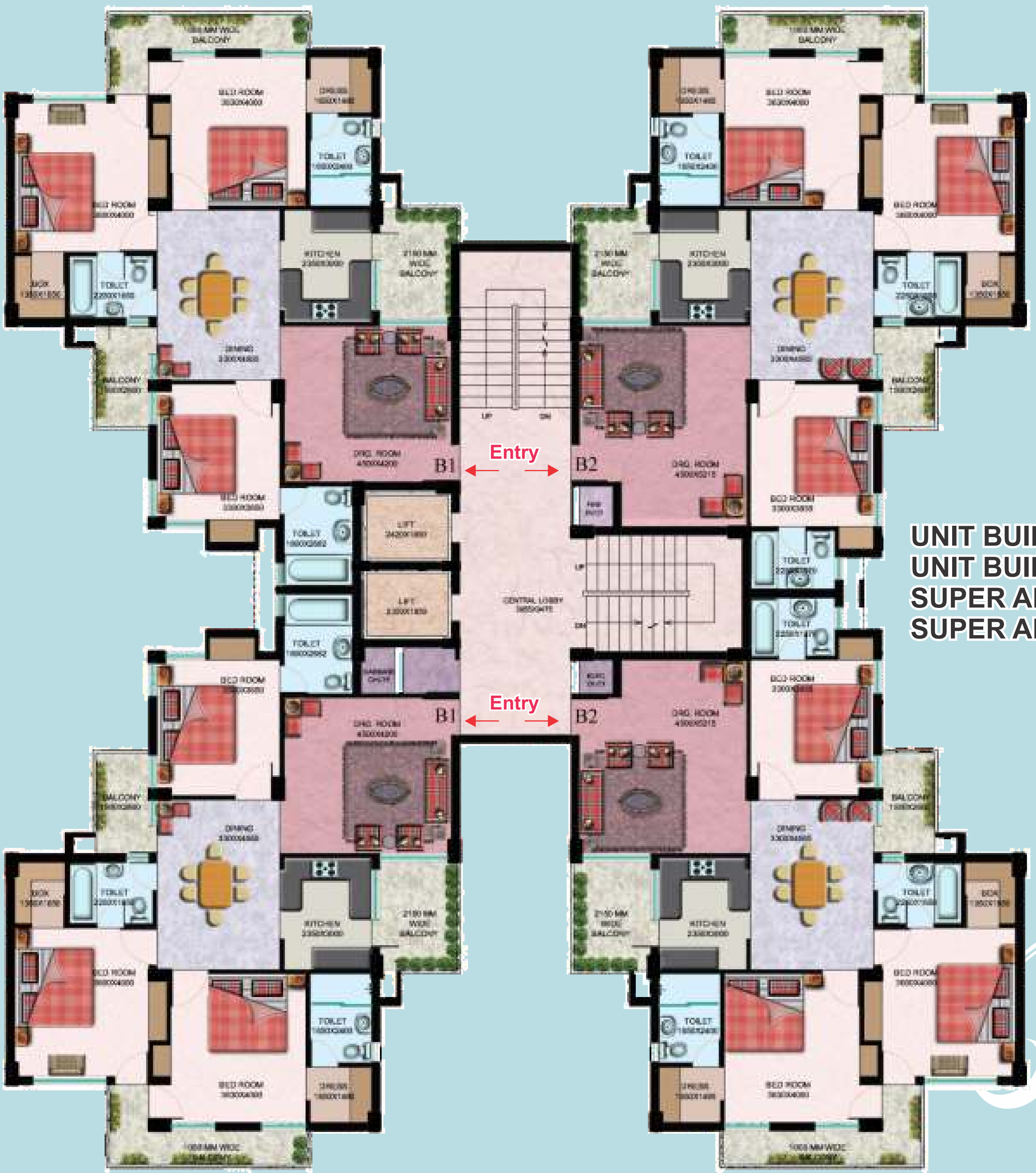

UNIT BUILT UP AREA B1 = 136.62 sqm.
UNIT BUILT UP AREA B2 = 139.07 sqm.
SUPER AREA/UNIT B1 = 155.34 sqm.
SUPER AREA/UNIT B2 = 157.79 sqm.

सभी मापें मिलीमीटर में हैं।

3 BHK - B1 TYPE UNIT PLAN

UNIT BUILT UP AREA - 136.62 sqm.
SUPER AREA - 155.34 sqm.

सभी मापें मिलीमीटर में हैं।

3 BHK - B2 TYPE UNIT PLAN

UNIT BUILT UP AREA - 139.07 sqm.
SUPER AREA - 157.79 sqm.

सभी मापें मिलीमीटर में हैं।

3BHK + SERVANT CLUSTER PLAN

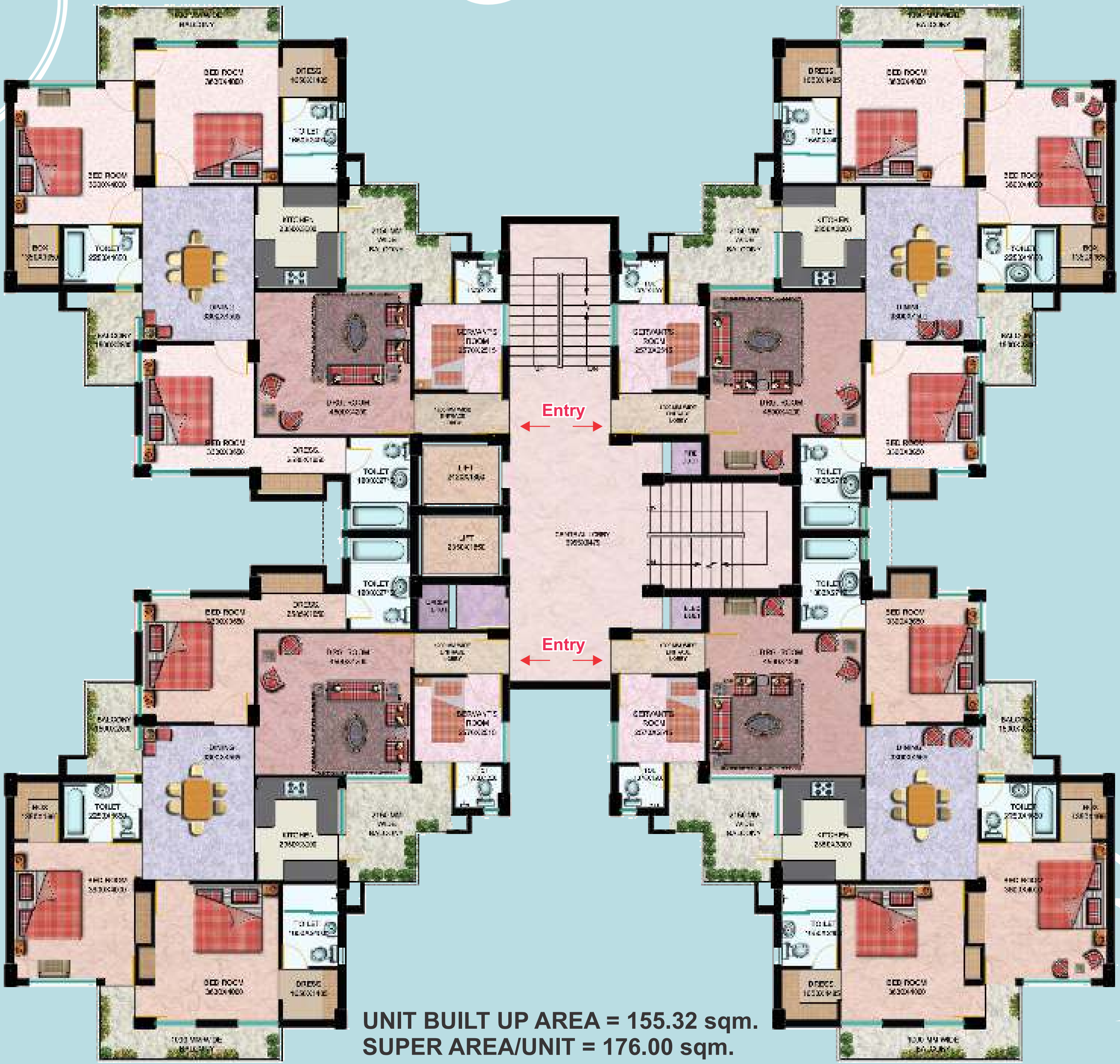

UNIT BUILT UP AREA = 155.32 sqm.
SUPER AREA/UNIT = 176.00 sqm.

सभी मापें मिलीमीटर में हैं।

3 BHK + SERVANT - UNIT PLAN

UNIT BUILT UP AREA - 155.32 sqm.
SUPER AREA - 176.00 sqm.

सभी मापें मिलीमीटर में हैं।

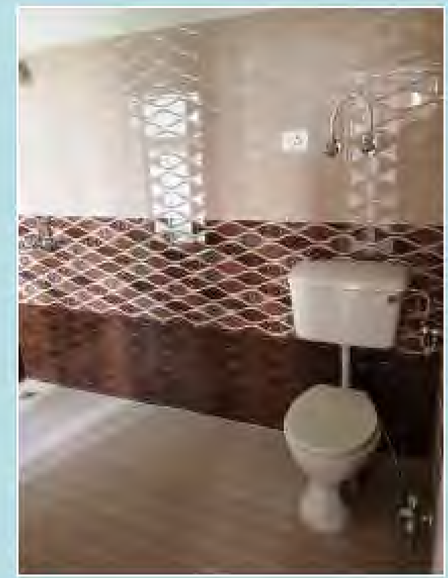

अरावली एन्क्लेव के निर्माणाधीन दृश्य

परियोजना का विवरण

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिष्द द्वारा वृन्दावन योजना, संख्या–3, लखनऊ के सेक्टर–12 में प्रस्तावित अरावली एन्क्लेव के नाम से बहुमंजिली (B+S+10 Storied) आवासीय परियोजना में 2 BHK, 3 BHK व 3 BHK+SER के फ्लैट्स का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसके निर्माण एवं विकास कार्य माह मार्च–2019 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। रेरा के अनुसार मार्च 2019 तक पूर्ण किया जाना निर्धारित है, जिसमें वर्तमान में रिक्त फ्लैट्स का पंजीकरण निम्नवत विवरण के अनुसार खोला जाना प्रस्तावित है।

1. फ्लैट्स का विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	फ्लैट का प्रकार/श्रेणी	मंजिले	पंजीकरण हेतु प्रस्तावित फ्लैट्स की कुल संख्या	कारपेट एरिया प्रति फ्लैट (व.मी. में)	सुपर एरिया प्रति फ्लैट (व.मी. में)	प्रस्तावित विक्रय मूल्य (रु. लाख में)	पंजीकरण धनराशि (रु. लाख में)	आवंटन पत्र निर्गत करने के 30 दिन के अन्दर देय धनराशि (रु. लाख में)	अवशेष भुगतान तिमाही 9 किश्तों में (प्रत्येक किश्त की धनराशि रु. लाख में)
1.	अरावली एन्क्लेव	2 BHK C1 Type	B+S+10	12	70.99	116.10	48.61	2.40	8.86	4.15
2.		2 BHK C2 Type	B+S+10	3	75.71	119.64	50.03	2.50	9.28	4.25
3.		3 BHK B1 Type	B+S+10	97	99.16	155.34	65.12	3.20	11.52	5.60
4.		3 BHK B2 Type	B+S+10	100	103.45	157.79	67.35	3.35	11.80	5.80
5.		3 BHK+ SER	B+S+10	127	115.58	176.00	74.66	3.75	13.31	6.40

फ्लैट्स की विशिष्टियां

फर्श :

ड्राइंग/बेडरूम	:	विट्रीफाइट टाइल्स।
स्टेयर केस	:	कोटा स्टोन
बालकनी/युटिलिटी	:	एन्टी स्किड टाइल्स।

ट्वायलेट :

बाथरूम	:	स्टैन्डर्ड मेक फिक्चर्स/एसेसरीज के साथ बाथरूम।
दीवार	:	डोर लेवल तक डिजीटल सेरेमिक टाइल।
फर्श	:	एन्टीस्किड सैटिन फिनिश टाइल्स।
चाइनावेयर	:	यूरोपियन टाइप डब्लू.सी. शीट, काउन्टर वास बेसिन।
जलापूर्ति	:	जलापूर्ति हेतु सी.पी.वी.सी. पाइप का प्राविधान।

किचेन :

फर्श	:	एन्टीस्किड सैटिन फिनिश टाइल्स।
कुकिंग प्लेटफार्म	:	ग्रेनाइट स्टोन किचेन टॉप एवं दीवारों पर 60 सेमी. ऊँचाई तक सेरेमिक टाइल्स का प्राविधान।
सिंक	:	स्टेनलेस स्टील सिंक।
फिटिंग्स	:	उच्च गुणवत्ता की ब्रान्डेड सी.पी. फिटिंग्स।
जलापूर्ति	:	सी.पी.वी.सी. पाइप द्वारा पानी की व्यवस्था का प्राविधान।
खिड़कियां	:	यू.पी.वी.सी. फ्रेम में फ्लोट ग्लास एवं एस.एस. स्टील मास्कीटो जाली सहित स्लाइडिंग विन्डो।
मुख्य दरवाजा		:टीक वुड पैनल डोर, मासकीटो प्रूफ डोर मैलामाइन स्प्रे पॉलिश के साथ।
अन्य आन्तरिक दरवाजा	:	दोनों तरफ टीक वुड फिनिश वीनियर के साथ फ्लश डोर शटर लीकर पॉलिश के साथ।
बालकनी दरवाजा	:	मास्कीटो जाली सहित यू.पी.वी.सी. स्लाइडिंग डोर।
ट्वायलेट दरवाजा	:	सॉलिड फौम पी.वी.सी. के चौखट एवं दरवाजा।

डोर फ्रेम/शटर फिटिंग्स	:	समस्त दरवाजों में स्टेनलेस स्टील फिटिंग।

दीवार की फिनिशिंग :

आन्तरिक	:	दीवाल एवं सीलिंग पर प्लास्टिक इमल्सन पेन्ट फिनिशिंग।
बाहरी	:	वेदर प्रूफ इमल्शन।
आन्तरिक विद्युतीकरण	:	पी.वी.सी. कन्ड्यूट में माड्यूलर स्विच सहित कापर वायरिंग।
टी.वी. प्वाइंट्स	:	ड्राइंग, डाइनिंग रूम एवं सभी बेडरूम में डिस एन्टिना वायरिंग के प्वाइंट का प्राविधान।
पावर बैक–अप	:	प्रत्येक फ्लैट हेतु 2 KVA का प्राविधान।

प्राविधान/शर्ते :

1. 12 माह में परियोजना पूर्ण करके कब्जा दिया जाना प्रस्तावित है।

2. सम्पत्ति के वर्तमान निर्धारित मूल्य में अपरिहार्य कारणों यथा फ्लैट्स निर्माण सामग्री की बाजार दरों में वृद्धि श्रमिक मजदूरी में वृद्धि होने की स्थितियों में निर्धारित मूल्य में 20 प्रतिशत तक विचलन सम्भ है फलस्वरूप नियत किश्तों की धनराशि में विचलन हो सकता है।

3. फ्लैट्स की टाइप डिजायन व ले–आउट अपरिवर्तनीय है, अपरिहार्य कारणों वश किसी परिवर्तन की आवश्यकता होने पर भू–सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम की धारा–14 में वर्णित प्रतिबन्धों/व्यवस्थाओं के अधीन परिवर्तन अनुमन्य होगा।

4. प्रथम तल, द्वितीय तल, एवं तृतीय तल के फ्लैट्स के आवंटियों को लोकेशन चार्जेज उसके पत्र में आवंटित सम्पत्ति के विक्रय मूल्य का क्रमशः 3, 2 व 1 प्रतिशत की दर से उल्लिखित धनराशि देय होगी।

5. आवंटियों को बेसमेन्ट पार्किंग रु. 2.00 लाख कवर्ड स्टिल्ट कार, पार्किंग रु. 2.00 लाख एवं ओपेन कार पार्किंग एरिया हेतु रु. 0.75 लाख प्रति कार की दर से पार्किंग की उपलब्धता पर अतिरिक्त धनराशि देय होगी। पार्किंग का आवंटन फ्लैट की नम्बरिंग के अनुसार किया जायेगा। अतिरिक्त पार्किंग की सुविधा उपलब्धता के आधार पर निर्धारित मूल्य की देयता के आधार पर लाटरी द्वारा अनुमन्य होगी।

6. फ्लैट्स का भौतिक कब्जा आवंटी को प्रदत्त करने की तिथि से आवंटी को कारपस फण्ड में फ्लैट के निर्धारित मूल्य की 5 प्रतिशत धनराशि, फ्लैट के भौतिक कब्जे से पूर्व जमा करनी होगी। दो वर्ष तक अनुरक्षण कार्य परिषद द्वारा कराये जायेंगे।

7. फ्लैटों के आवटन/कब्जे से 90 दिन की अवधि में आवंटीगणों को एक रेजीडेन्ट वेलफेयर समिति बनानी होगी प्रत्येक आवंटी को सदस्य बनाना बाध्यकारी होगा।

8. फ्लैटों के कब्जे की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के पश्चात अनुरक्षण कार्य रेजीडेन्ट वेलफेयर समिति द्वारा कराया जायेगा तथा अवशेष कारपस फण्ड की धनराशि, वेलफेयर सोसाइटी को हस्तगत कर दी जायेगी।

9. सामान्य सेवाओं जैसे लिफ्ट आपरेशन, जनरेटर, कैम्पस लाइट, सेक्योरिटी गार्ड, टयूबवेल आपरेशन, सफाई व्यवस्था, विद्युत बिल आदि के रख रखाव हेतु परिषद की अनुरक्षण कार्य अवधि के लिए आवंटी गणों को 02 वर्ष तक रु. 2.50 प्रति वर्ग फुट कार्पेट एरिया की दर से अतिरिक्त व्यय देय

होगा। भविष्य में इसमें किसी भी प्रकार का विचलन करने का अधिकार परिषद/समिति का होगा।

10. भारत सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय निकाय द्वारा आवंटित सम्पत्ति पर आध्यारोपित कर यथा, जी.एस.टी. ग्रहकर, जल कर आदि का भुगतान आवंटी को स्वयं वहन करना होगा।

11. पंजीकरण पुस्तिका में अंकित कब्जा दिये जाने की सम्भावित तिथि तक सम्पत्ति निर्माण पूर्ण न होने की स्थिति में आवेदक की जमा धनराशि पर भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम–2016 के प्राविधानों के अधीन संदेय ब्याज दर एवं क्षतिपूर्ति देय होगी।

12. पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखित नियमों के अतिरिक्त किसी भी विसंगति की स्थिति में भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम–2016 के प्राविधान लागू होंगे।

3. पंजीकरण हेतु पात्रता

3.1 आवेदक भारत का नागरिक हो।

3.2 आवेदक की आयु, आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

3.3 बहुमंजिले फ्लैट के आवेदकों के लिए सम्पत्ति सीमा/आय सीमा का प्रतिबन्ध नहीं होगा।

4. पंजीकरण के नियम

4.1 आवेदन पत्र भरने से पूर्व इस पुस्तिका में दिये गये आवेदन पत्र भरने के लिये निर्देशो का अध्ययन अवश्य कर लें, ताकि आवेदन–पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि न होने पायें। अधूरे एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।

4.2 पंजीकरण हेतु निर्धारित बैंक से पंजीकरण पुस्तिका क्रय करके आवेदन पत्र सही व पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित तिथि तक चिन्हित बैंक की किसी निर्धारित शाखा में अन्तिम तिथि से पूर्व वांछित संलग्नको व पंजीकरण धनराशि सहित जमा करना होगा।

4.3 पंजीकरण एक से अधिक या संयुक्त नाम से नहीं किया जा सकता है। केवल पति–पत्नी के लिए संयुक्त पंजीकरण अनुमन्य है।

4.4 यदि कोई आवेदक पंजीकरण पात्रता चयन हेतु लाटरी ड्रा की तिथि से पहले पंजीकरण जमा धनराशि वापस लेना चाहता है तो उसकी लिखित सहमति के आधार पर उसका पंजीकरण आवेदन निरस्त करते हुए जमा पंजीकरण धनराशि बिना कटौती, बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।

4.5 यदि कोई आवेदक लाटरी में चयनित होने के बाद, परन्तु निर्गत प्रदेशन पत्र में निर्धारित धनराशि जमा करने के अन्तिम तिथि से पूर्व पंजीकरण निरस्त करने का आवेदन करता है, तो पंजीकरण धनराशि में से 20 प्रतिशत की कटौती करते हुए अवशेष धनराशि बिना किसी ब्याज के वापस की जायेगी।

4.6 उत्तर प्रदेश भू–सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम की शर्तों के अनुसार अनुबन्ध निष्पादन किया जायेगा।

4.7 अनुबन्ध निष्पादन के बाद सम्पत्ति निरस्तीकरण सम्बन्धी आवेदन करने पर पंजीकरण/आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही अनुबन्ध की शर्तों के अधीन होगी। अवशेष धनराशि बिना ब्याज के आर.टी.जी.एस. के माध्यम से आवेदन के बैंक खातें में हस्तान्तरित होगी।

4.8. प्राकृतिक आपदाओं एवं अन्य अपरिहार्य कारणों के अतिरिक्त योजना संचालित न होने की स्थिति में एवं पंजीकरण धनराशि एक वर्ष से अधिक अवधि तक परिषद के खाते में जमा रहने पर राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा बचत खातों में संदेय ब्याज के अनुसार ब्याज देय होगा।

4.9 फ्लैट्स निर्माण एवं कब्जे में विलम्ब की स्थिति में भू–सम्पदा विनियमन एवं विकास अधिनियम के प्राविधानों के अधीन कार्यवाही/क्षतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

5. भुगतान का तरीका

5.1 भुगतान की तिथि एवं किश्तो की धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में विवरण, पात्रता चयन आवंटन होने पर मांग पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा। मांग पत्र निर्गमन तिथि से प्रथम किश्त की धनराशि 30 दिन के अन्दर बैंक कार्य दिवस में निर्धारित बैंक शाखा में जमा करना होगा तथा शेष धनराशि 09 त्रैमासिक किश्तो में देय होगी।

5.2 फ्लैट को सार्वजनिक लाटरी ड्रा से आवेदक को फ्लैट का नम्बर नीचे से ऊपर की ओर (उर्ध्वाकार) टावरवार आवंटित किया जायेगा।

5.3 सम्पत्तियाँ पूर्ण भुगतान/किश्त क्रय पद्धति पर आवेदकों के आवेदन के आधार पर आवंटित की जायेंगी। समीकृत मासिक किश्तों में रु. 10 लाख विक्रय मूल्य की आवासीय सम्पत्तियों पर प्रतिशत 10 लाख से 25 लाख तक के विक्रय मूल्य पर .... प्रतिशत, 25 लाख से अधिक सम्पत्तियों पर .... प्रतिशत साधारण ब्याज समाहित होगा। देय धनराशि समयान्तर्गत जमा न किये जाने की स्थिति में विलम्ब अवधि हेतु आवंटन पत्र में अंकित ब्याज दर के साथ.......... प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देय होगा, अन्यथा आवंटन एवं पंजीकरण बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार परिषद का होगा।

5.4 आवंटी किसी भी समय अवशेष किश्तों की निर्धारित संख्या से कम किश्तों में भुगतान करने हेतु आवेदन करता है अथवा कुछ धनदराशि एक मुश्त जमा करके किश्तों की धनराशि कम करने हेतु अनुरोध करता है तो इस प्रकार की अनुमति सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय के प्रभारी स्तर से दी जा सकती है। किश्त पर आवंटित प्रश्नगत सम्पत्ति का अवशेष मूल्य किसी भी समय एक मुश्त जमा किया जा सकता है। उस समय देय अवशेष मूलधन में से 02 प्रतिशत की छूट भी दी जायेगी।

5.5 आवेदक द्वारा निर्धारित तिथि से 03 माह के अन्दर देय किश्त की निर्धारित मूल धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसका पंजीकरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा, और जमा की गयी धनराशि की वापसी परिषद के नियमों के अनुसार पंजीकरण धनराशि में से निर्धारित कटौती करते हुए बिना ब्याज के की जायेगी।

5.6 भुगतान, मासिक/त्रैमासिक/एक मुश्त किश्तों में अनुमन्य होगा। पंजीकरण के उपरान्त मांग पत्र के अनुसार देय किश्तों के धनराशि का भुगतान परिषद द्वारा अधिकृत बैंक में ही बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक अथवा आनलाईन के माध्यम से किया जा सकेगा। बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक "उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद/UPAVP" के नाम जो सम्बन्धित शहर में देय हो के पक्ष में होना चाहिए। उक्त ड्राफ्ट मांग–पत्र में अधिकृत बैंक शाखा को पंजीकरण संख्या/चालान संख्या आवेदक का नाम, योजना का नाम, फ्लैट संख्या एवं श्रेणी आदि विवरण सहित निर्धारित बैंक चालान पर परिषद खाते में जमा करना होगा।

6. आवंटन नियम :

6.1 परिषद/शासनादेशो के अनुसार पंजीकरण पात्रता ड्रा में आरक्षण की सुविधा आवेदकों के प्राप्त आवेदन पत्रों के मध्य नियमानुसार दी जायेगी।

6.2 प्राप्त आवेदनो ंकी संख्या उपलब्ध सम्पत्ति की संख्या से अधिक होने पर सार्वजनिक लाटरी के आधार पर आवंटन किया जायेगा। उक्त

आवंटन में असफल आवेदकों को उनकी जमा धनराशि बिना ब्याज के परिषद द्वारा निर्धारित बैंक से एक माह में आवेदक के अपने आवेदन में अंकित किए गये बचत खाते में आर.टी.जी.एस. के माध्यम से वापस कर दी जायेगी।

6.3 सम्पत्ति का आवंटन आवेदकों की सहमति से ग्रुपिंग में एक साथ रहने के आधार पर फ्लैट्स की उपलब्धत की स्थिति में प्रार्थना पत्र देने पर ग्रुप बनाये जाने की सुविधा यथा सम्भव दी जायेगी। चार आवेदकों की सीमा तक ही ग्रुपिंग मान्य होगी। ग्रुपिंग की स्थिति में ग्रुप की एक पर्ची डाली जायेगी तथा उसके आने पर यथा सम्भव पूर्ण ग्रुप को एक ही तल पर समायोजित किया जायेगा। लाटरी में ग्रुपिंग न मिलने पर आवेदक का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा क्योंकि यह सुविधा है। अधिकार नहीं।

6.4 सामान्यत: आवंटित सम्पत्तियों का परिवर्तन नहीं किया जायेगा। विशेष कारणों एवं आवंटी की प्रार्थना पर पंजीकरण एवं आवंटित सम्पत्तियों का परिवर्तन नियमानुसार रिक्त के विरूद्ध परिषद द्वारा निर्धारित परिवर्तन शुल्क देने की शर्त के अधीन सक्षम स्तर द्वारा किया जा सकता है। यह परिवर्तन सम्पत्तियों का विक्रय विलेख निष्पादन से पूर्व ही अनुमन्य होगा।

6.5 पात्रता चयन के एक सप्ताह पूर्व समस्त आवेदकों की सूची परिषद वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी जिसमें पात्रता चयन हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व यदि कोई त्रुटि/कमी परिलक्षित होती है तो उसका निराकरण सम्बन्धित, सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय के प्रभारी अधिकारी के द्वारा किया जा सकेगा। अन्यथा की स्थिति में पात्रता चयन के समय एवं उसके पश्चात कोई दावा मान्य नहीं होगा तथा आवेदक स्वयं उत्तदायी होगा।

6.6 सम्पत्ति के विरूद्ध प्राप्त पंजीकरण आवेदनों को सामान्य श्रेणी एवं आरक्षित श्रेणीवार पृथक–पृथक करते हुए पृथक–पृथक सूची तैयार की जायेगी।

6.7 सम्पत्ति आवंटन हेतु लाटरी के नियत तिथि, समय की सूचना परिषद वेबसाइट पर 10 दिन पूर्व प्रदर्शित कर दी जायेगी।

6.8 लाटरी की नियत तिथि, स्थान, समय की सूचना दो समाचार पत्रों में भी विज्ञप्ति के माध्यम से कम से कम 10 दिन पूर्व प्रसारित करायी जायेगी।

6.9 लाटरी के सफल आवेदकों एवं उनको आवंटित सम्पत्तियों का विवरण लाटरी ड्रा के पश्चात परिषद वेबसाइट पर यथा सम्भव उसी दिन प्रसारित कर दी जायेगी।

6.10 सफल आवेदकों को आवंटित सम्पत्ति का आवंटन पत्र निर्गमन से पूर्व भू–सम्पदा (विनियम और विकास) अधिनियम–2016 के प्राविधानों के अधीन विहित प्रारूप पर विक्रय करार निष्पादित करना होगा और उक्त करार पत्र के समस्त उपबन्ध बाध्यकारी होंगे तथा उसको नियमानुसार उप निबन्धन कार्यालय में निबन्धन कराना होगा, इस प्रक्रिया में आने वाला व्यय भार आवंटी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

7. आरक्षण :

क्र० सं०	श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत	अतिरिक्त रियायते तथा सूचनात्मक टिप्पणी
1	अनुसूचित जाति	21	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/ उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करानी होगी।
2	अनुसूचित जनजाति	2	——————————तदैव——————————
3	अन्य पिछडा वर्ग	27	——————————तदैव——————————
4	मा० विधायक /सांसद/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	5	(अ) पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण—पत्र प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें। (ब) समुचित प्रमाण।
5	सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।	5	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अधिकृत प्राधिकारी का प्रमाण—पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
6	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायो के कर्मचारी	2	पंजीकरण आवेदन—पत्र के साथ अधिकृत अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र मूलरूप में उपलब्ध कराये। शर्त यह है कि कर्मचारी नियमित अधिष्ठान के अर्न्तगत कार्यरत हों।
7	वर्तमान सैनिक, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	3	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ नियत सैनिक अधिकारी /अधिकृत प्राधिकारी के प्रमाण—पत्र की छायाप्रति। किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित उपलब्ध करायें।
8	समाज के विकलांग व्यक्ति	3	मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
9	वरिष्ठ नागरिक (आवेदन पत्र को जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक 60 वर्ष अथवा उससे अधिक की आयु पूर्ण होने के आधार पर)	10	हाईस्कूल प्रमाण पत्र/सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र/पेंन्शन पेपर का प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये। इन प्रमाण पत्रों के उपलब्ध न होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रामण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये।
10	विदेशी मुद्रा से सम्पत्ति क्रय करने के इच्छुक भारतीय नागरिक	नकद के अनुसार	पंजीकरण जमा की धनराशि तथा मांग पर शेष मूल्य विदेशी मुद्रा (यू.एस. डालर, पौण्ड, स्टर्लिंग, जर्मन मार्क, जापानी येन, स्विस, फ्रेंक, दीनार) से भारतीय मुद्रा में परिवर्तित कराकर देनी होगी। आवंटन केवल नकद क्रय आधार पर होगा। पंजीकरण आवेदन—पत्र के पंजीकरण जमा धनराशि के विदेशी मुद्रा में परिवर्तित होने का सम्बन्धित बैंक का प्रमाण पत्र संलग्न करना है।

नोटः— उपरोक्त मे से क्रमांक 1 से 3 में आवेदक जिस वर्ग में आवेदन करेगें लाटरी में उसी श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। क्रमांक 04 से 09 तक के आरक्षण शासनादेश/परिषदादेशो के प्राविधानुसार श्रेणी 01 से 03 तक व अनारक्षित श्रेणी के मध्य से ही हारिजेन्टल रूप से किया जायेगा।

हॉरिजेन्टल आरक्षण लागू होने की दशा में एक ही विकल्प मान्य होगा।

7.1 कोड न भरने की स्थिति में आवेदक को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि यदि आवेदक किसी आरक्षण का कोड भरने के आधार पर चयनित हो जाता है तो आरक्षण श्रेणी की पुष्टि प्रमाण पत्रों से की जानी अनिवार्य होगी। त्रुटिपूर्ण प्रमाण होने की स्थिति में अथवा प्रमाण—पत्र सत्यापित न होने की स्थिति में आवेदन—पत्र निरस्त किया जायेगा तथा आवेदक के विरूद्ध अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

7.2 उ.प्र. के अतिरिक्त अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के व्यक्ति आरक्षण वर्ग के व्यक्ति आरक्षण हेतु पात्र नहीं माने जाएंगे उन्हें अनारक्षित श्रेणी हेतु पात्र माना जायेगा।

8. असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि की वापसी

8.1 पात्रता चयन के पश्चात् असफल आवेदको की जमा पंजीकरण धनराशि एक माह के अन्दर परिषद द्वारा निर्धारित बैंक द्वारा सीधे आवेदक के बचत खाते में वापस कर दी जायेगी।

9. फ्लैट्स का भौतिक कब्जा

9.1 फ्लैट्स का निर्माण मांग पत्र निर्गमन की तिथि से 30 माह की अवधि में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

9.2 आवंटन लाटरी में सफल आवेदकों को लाटरी तिथि से 30 दिनों के अन्दर सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में उपस्थित होकर निर्धारित प्रारूप पर बिक्री करार (Agreement to Sale) निष्पादित पंजीकृत कराना होगा।

9.3 बिक्री करार (Agreement to Sale) निष्पादन के पश्चात ही आवंटन/मांग पत्र निर्गत होगा।

9.4 आवंटी द्वारा नियमानुसार फ्लैट का मूल्य व अन्य समस्त देयक परिषद खाते में भुगतान के उपरान्त पंजीयन/सेलडीडी कराने से पूर्व करना होगा। शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी एवं निबन्धन के पश्चात भौतिक कब्जा हस्तगत किया जायेगा।

9.5 उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद द्वारा आक्यूपेन्सी सर्टिफिकेट निर्गत करने की तिथि से दो माह के अन्दर फ्लैट का कब्जा न लेने पर आवंटी को अनुबन्ध में उल्लिखित विवरण के अनुसार विलम्ब शुल्क रु. .... प्रतिदिन की दर से देना होगा।

10. तथ्यों का छिपाना

यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य/मिथ्या/त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, तो उसके पंजीकरण/आवंटन/निबन्धन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं नियमानुसार विधि सम्मत अन्य कार्यवाही की जा सकेगी।

11. अन्य महत्वपूर्ण सूचना/शर्ते

11.1 योजना आवासीय है। अतः फ्लैट का प्रयोग केवल आवास हेतु किया जायेगा। आवंटी को फ्लैट में किसी प्रकार का निर्माण या परिवर्धन अनुमन्य नहीं है। उल्लंघन किये जाने पर विधिक कार्यवाही की जा सकेगी एवं आवंटन विक्रय–विलेख निष्पादन एवं उसका पंजीकरण निरस्त किया जा सकेगा।

11.2 पंजीकृत व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारियों के पक्ष में, जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, इन्डमिनिटी बॉण्ड अन्य उत्तराधिकारियों द्वारा अनापत्ति शपथ–पत्र प्रस्तुत करने पर पंजीकरण एक नाम के पक्ष में परिवर्तित किया जायेगा किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि ऐसा व्यक्ति उस सम्पत्ति के पंजीकरण की सभी शर्तें पूरी करता हो।

11.3 परिषद विनियमों के प्राविधानों में किसी धारा–उपधारा के रहते हुए भी किन्हीं विशेष परिस्थितियों में आवास आयुक्त को अन्यथा निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा।

11.4 इन विनियमों के अधीन उत्पन्न होने वाले वादों के लिए, सम्बन्धित नगर स्थित, दीवानी न्यायालय का ही अधिकार क्षेत्र होगा।

G.S.T. सम्बन्धी प्राविधान

1. जिस सम्पत्ति का निर्माण ग्राहकों की धनराशि से अर्थात एस.एफ.एस. योजना के अन्तर्गत किया गया हो, उस पर नियमानुसार जीएसटी देय होगी।
2. परिषद द्वारा स्वयं के श्रोतों से निर्माण कार्य को पूर्ण कर विक्रय किए जाने पर बिक्रीत भवन के विरूद्ध जीएसटी देय नहीं होगी।
3. परिषद द्वारा बहुमंजिलों परियोजनाओं में निर्मित फ्लैटों की बिक्री पर 12 प्रतिशत की दर जीएसटी देय होगी।
4. कवर्ड कार पार्किंग स्थान, साइट प्लान चार्जेज, फ्लैट परिवर्तन शुल्क, प्रो. पेड मीटर चार्जेज, विद्युत संयोजन एवं सुरक्षा इत्यादि सेवाओं हेतु 18% की दर से जी.एस.टी. देय होगी।

5 पंजीकरण पुस्तिकाओं की बिक्री पर 5% की दर से जीएसटी देय होगी।

6. जीएसटी की दरें वर्तमान में प्रभावी शासनादेशों के अधीन निर्धारित एवं परिवर्तनीय हैं। भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा इनकी दरों में संशोधन किए जाने की स्थिति में आवंटियों/क्रेताओं को यथा संशोधित दरों से जीएसटी का भुगतान करना होगा।

अरावली एन्क्लेव वृन्दावन योजना सं.-3 लखनऊ में बहुमंजिली योजना हेतु पंजीकरण पुस्तिका आवेदन पत्र सहित निम्न बैंक शाखाओं से प्राप्त किये जा सकते है।

पंजीकरण 15 अगस्त, 2018 से प्रारम्भ

आवेदन पत्र जमा करने हेतु अन्तिम तिथि 00 सितम्बर, 2018

क्रमांक	पंजीकरण हेतु अधिकृत बैंक/शाखा का विवरण	सम्बन्धित अधिकारी	दूरभाष नं.
1.	एच.डी.एफ.सी. बैंक अशोक मार्ग, लखनऊ	श्री अमित बहल	933816254
2.	एच.डी.एफ.सी. बैंक, सरदार पटेल डेन्टल कालेज, रायबरेली रोड, लखनऊ	श्री एजाजुलहक	9305057306
3.	कोटक महेन्द्रा बैंक, गोमती नगर, विशाल खण्ड–3, लखनऊ	श्री वैभव शर्मा	8691922220

आनलाईन की सुविधा भी उपलब्ध है।

पंजीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है। विस्तृत जानकारी परिषद की वेबसाइट www.upavp.in पर उपलब्ध है। परिषद के आवंटित फ्लैट्स की किश्तों को ऑनलाइन जमा करने की सुविधा परिषद की वेबसाईट www.upavp.in के लिंक "Ledger View@Online Payment" पर उपलब्ध है। कृपया इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठायें।

नोट :

1. उक्त के अतिरिक्त पंजीकरण पुस्तिका जी.एस.टी. सहित निर्धारित शुल्क रु. .... देकर प्रचार अनुभाग, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ पर कार्यालय समय से उपलब्ध होगी।

2. पंजीकरण आवेदन फार्म केवल उल्लिखित बैंक में ही जमा होंगे।

आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देश

1 आवेदन पत्र हिन्दी या अग्रेंजी में भर सकते है। आवेदन पत्र काले अथवा नीले वाल प्वाइन्ट पेन से भरा जायें।

2 आवेदन पत्र में नाम (क्रमांक 4 एवं 7 का) हिन्दी व अग्रेंजी दोनों भाषाओं में अनिवार्य रूप से भरा जायें।

3 अंग्रेजी में अपेक्षित सूचनाये भरते समय अपेक्षित है कि इस आवेदन पत्र के ब्लाक को अंगेजी के बडे अक्षरो (BLOCK LETTERS) में ही भरें। हस्ताक्षर किसी भी भाषा में किये जा सकते है।

4 आवेदक केवल अंको के अन्तर्राष्ट्रीय रूप का ही प्रयोग करें जैसें : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।

5 आवेदक को पासपोर्ट साईज का स्वहस्ताक्षरित फोटोग्राफ आवेदन पत्र पर यथास्थान लगाना है तथा इस प्रकार हस्ताक्षर किये जाये कि हस्ताक्षर का आधार भाग आवेदन पत्र पर एवं आधार भाग फोटोग्राफ पर आये। संयुक्त आवेदक (पति–पत्नी) की ओर से आवेदन की स्थिति में दोनों का संयुक्त फोटोग्राफ लगाया जाना अपेक्षित होगा

6 एक ब्लाक (BLOCK) में एक ही वर्ण (अक्षर या अंक) लिखें।

7 नाम अथवा पता भरते समय दो शब्दों के बीच एक रिक्त स्थान / ब्लाक छोडा जायें।

8 आवेदन पत्र में बिन्दु–6 पर अंकित लिंग (SEX) कॉलम में पुरूष हेतु 'M' एवं महिला हेतु 'F' भरें। संयुक्त आवेदन की स्थिति में (पति–पत्नी) हेतु 'HW' टिक करें।

9 सम्पत्ति श्रेणी के विषय में पंजीकरण पुस्तिका में दिये गये विवरण से आसरा एन्कलेव एवं सपना एन्कलेव में किसी एक को भरना होगा।

10 आरक्षण की श्रेणी भरने के लिये पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखित "आरक्षण" नियमों का अध्ययन करें। आरक्षण के प्राविधानों को दृष्टिगत रखते उचित कोड भरना अनिवार्य होगा। रिक्त स्थान रहने की स्थिति में अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी में माना जायेगा।

आवेदन पत्र भरने के लिए कोड की सूची (आरक्षण कोड)

आरक्षण कोड	कोड संख्या
अनुसूचित जाति	01
अनुसूचित जन जाति	02
अन्य पिछड़ा वर्ग	03
अनारक्षित	04
हारिजेन्टल आरक्षण कोड	
मा0 विधायक, सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सैनानी	F
सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों	G
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	B
वर्तमान सैनिक, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	R
समाज के विकलांग व्यक्ति	D
वृद्धजन, वरिष्ठ नागरिक	O
विस्थापित	W

रू0-10.00 के स्टाम्प पेपर पर (नोटरी द्वारा सत्यापित) समक्ष उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद

घोषणा पत्र

1 मैं उपरोक्त नामित एतद्द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि मैने इस आवेदन पत्र के साथ दिये गये पंजीकरण योजना के नियमों, शर्तो दशाओं, विशेष सूचनाओं की परिभाषा (उदाहरणार्थ परिवार) पंजीकरण के इस चरण की प्रकिया जिसका उल्लेख इस पुस्तिका में किया गया है, जिसके साथ यह प्रपत्र सम्बद्ध है, को स्पष्ट समझ लिया तथा मैं इसके पालन का वचन देता / देती हूँ।

2 मैं घोषित करता/करती हूँ कि मैंने अथवा मेरे परिवार के किसी सदस्य ने पहले परिषद की किसी योजना के अन्तगत आवेदन–पत्र में उल्लिखित नगर के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन नहीं किया है।

3 जिस नगर अथवा क्षेत्र के लिए मैं आवेदन कर रहा/रही हूँ उसमें मेरा अथवा मेरे परिवार के किसी सदस्य के नाम कोई आवासीय भूखण्ड / भवन नहीं है। यदि आवंटन के पूर्व आवेदित नगर में मेरे अथवा मेरे परिवार के किसी सदस्य द्वारा कोई भूखण्ड / भवन क्रय किया जाता है तो उसकी लिखित सूचना में तुरन्त परिषद को दूॅंगा / दूॅंगी।

4 मेरे या मेरे परिवार के नाम उत्तर प्रदेश के किसी भी नगर में एक से अधिक भूखण्ड / भवन नहीं है।

5 मैं एतद्द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरे अधिकतम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सर्वथा सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

6 मैं एतद्द्वारा वचन देता / देती हूॅं कि यदि किसी समय यह ज्ञात हो कि मैंने स्वयं के सम्बन्ध में कोई असत्य विवरण जानबूझकर परिषद को दिये है तो परिषद को मेरे विरूद्ध ऐसी कोई कार्यवाही करने का अधिकार होगा जो वह उपयुक्त समझें।

7 कृपया मेरा नाम इच्छुक आवेदकों / केताओ की सूची में पंजीकृत करने का कष्ट करें।

8 मैं .... यह घोषणा करता / करती हूँ कि मेरी मृत्यु हो जाने पर श्री / श्रीमती .... जो रिश्ते में मेरे / मेरी . ... हैं एवं खून के सम्बन्धी है, को इस पंजीकरण के नामान्तरण हेतु प्रथम वरीयता पर नामित करता /करती हूँ। प्रथम वरीयता के नामान्तरी की मृत्यु होने पर इसी कम में श्री /श्रीमती .... जो मेरे /मेरी .... है एवं खून के सम्बन्धी है, को इस पंजीकरण हेतु द्वितीय वरीयता पर नामित करता / करती हूँ।

आवेदक के हस्ताक्षर

मुख्य परिभाषायें

निम्नलिखित शब्द/शब्द समूह एवं संक्षिप्त शब्द इस पुस्तिका तथा संलग्न प्रपत्रो में प्रयोग किये गये है, जहॉ–जहॉ वे प्रयुक्त किये गये है, उनके निम्नलिखित अर्थ होगें:–

आवेदक का परिवार :–

इसमें स्वयं आवेदक, उसकी पत्नी/पति तथा अवयस्क बच्चे सम्मिलित है।

आय :–

आय का तात्पर्य आवेदक के समस्त श्रोतो से होने वाली पंजीकरण से पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक आय से है, इसमें आवेदक उनके पति/पत्नी तथा अवयस्क बच्चे की आय सम्मिलित होगी।

भूखण्ड/भवन :–

''भवन या मकान'' शब्द में : ''फ्लैट'' भी सम्मिलित है तथा भूखण्ड का तात्पर्य आवासीय भूमि के भूखण्ड से है।

सम्पत्ति :–

सम्पत्ति का तात्पर्य भवन अथवा भूखण्ड से है।

विदेशी मुद्रा :–

विदेशी मुद्रा का तात्पर्य स्टलिंग पौंड, यू0एस0, डालर, जर्मन मार्क, जापानी येन, स्विस फ्रेक और दीनार से है।

चरण (पंजीकरण का खुलना) :–

इसका तात्पर्य निर्धारित अवधि के लिये विशिष्ट श्रेणी की सम्पत्ति के लिये पंजीकरण खुलने पर आवेदन पत्र आमन्त्रित करने से है। चरण संख्या या कोड पंजीकरण खुलने की अवधि तथा तिथि सम्बन्धित है, इसलिये विभिन्न चरणों के लिये भिन्न होगी। इसी प्रकार पंजीकरण चरण पत्र में इस विशेष पंजीकरण से सम्बन्धित जानकारी दी गयी है।

पंजीकरण का दौर :–

इसका तात्पर्य पंजीकरण की उस प्रक्रिया से है, जिसके अर्न्तगत एक विशेष अवधि में पंजीकरण किया जाता है।

सरकारी सेवओं से तात्पर्य :–

उ0प्र0 राज्य की सेवा में तथा उ0प्र0 राज्य के अधीन गठित निगमों, उपक्रमों एवं निकायो में कार्यरत नियमित कर्मचारियो एवं अधिकारियों से है।

विस्थापित व्यक्ति :–

विस्थापित व्यक्ति का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी भूमि/भवन परिषद द्वारा अधिगृहीत की गयी हों।

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है :–

(1) जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो और जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो, जिसके द्वारा इन कार्यकलापो में भाग लेने के फलस्वरूप कम से कम दो माह की अवधि के लिये कारावास का दण्ड भोगा गया हो या जिसे नजरबंदी या अंडर ट्रायल कैदी के रूप में जेल में कम से कम तीन माह की अवधि के लिये रखा गया हो या कम से कम 10 बेंतो की सजा पायी हो या फरार घोषित किया गया हो या स्वतंत्रता संग्राम में गोली से घायल हुआ हो।

(2) जो पेशावर कांड में रहे हों या जो भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के प्रमाणित सैनिक हों या भूतपूर्व इण्डिया इण्डिपेन्डैस लीग के प्रमाणित सदस्य रहे हों।

सुरक्षा सैनिक का तात्पर्य :–

सेवारत / सेवानिवृत्त सुरक्षा सैनिक से है।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ी जाति

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ी जाति का तात्पर्य शासन द्वारा प्रसारित आदेशार्न्तगत आने वाली जातियों से है।

नेत्रहीन तथा विकलांग व्यक्ति का तात्पर्य :–

शासन अथवा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित नेत्रहीन / विकलांग व्यक्ति से है।

परिषद कर्मचारी का तात्पर्य :–

परिषद के नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त अधिकारी / कर्मचारी से है जिनकी दो वर्ष सेवा पूरी हो।

परिषद का तात्पर्य :–

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से है।

विकास प्राधिकरण / जल संस्थान / नगर महापालिका व स्थानीय निकाय के कर्मचारियों का तात्पर्य :–

ऐसे कर्मचारी जो नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती से नियुक्त हों।

योजना के क्रियान्वयन हेतु परिषद के अधिकारियों के निम्न कार्यालयों से सम्पर्क कर सकते हैं।

आवंटन/पंजीकरण आदि	साईट लोकेशन/निर्माण आदि

वृन्दावन योजना–3, सेक्टर–12, लखनऊ में प्रस्तावित ''अरावली एन्क्लेव'' बहुमंजिले फ्लैट्स के आन–लाइन रजिस्ट्रेशन हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश

उक्त योजना की सम्पत्तियों (फ्लैट्स) के आन–लाइन पंजीकरण (Online Registration) द्वारा आवेदन करने के क्रम में निम्नलिखित चरणवार (Stepwise) प्रक्रिया का पालन किया जायेगा :–

प्रथम चरण (Step-1) :

आन–लाइन पंजीकरण (Registering Online) एवं पंजीकरण धनराशि का भुगतान (Payment of Registration Amount)

- आन–लाईन पंजीकरण प्रारम्भ होने पर इच्छुक आवेदक सर्वप्रथम परिषद वेबसाइट **www.upavp.com** पर जाकर मुख्य पृष्ठ (Homepage) के लिंक Online Registration For Flats पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात खुलने वाले वेब–पेज के लिंक "Aravali Enclave,Vrindavan Yojna-3, Sector-12, Lucknow पर क्लिक करना होगा।
- आवेदक द्वारा संबंधित योजना/फ्लैटस की समस्त जानकारियाँ भली–भाँति पढकर 'Apply Online' लिंक पर क्लिक किया जायेगा।
- तत्पश्चात उपलब्ध होने वाले वेबपेज पर आवेदक द्वारा अपने आवेदन से संबंधित मुख्य जानकारियाँ (Basic Informations) यथा–नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, मोबाईल नम्बर, ई–मेल, इच्छित फ्लैटस आदि विवरण आन–लाईन फीड किये जायेगें।
- उक्त प्रक्रिया सम्पन्न करने के उपरान्त आवेदक द्वारा 'Submit' बटन पर क्लिक किया जायेगा।
- 'Submit' करने के उपरान्त आवेदक द्वारा 'Confirm' करने की दशा में उसे अपने आन–लाईन पंजीकरण से संबंधित विवरण, यूजर आई0डी0/पासवर्ड के साथ–साथ पंजीकरण धनराशि के भुगतान के दिशा–निर्देश सहित प्राप्त होगें।
- उक्त वेब पेज पर अंकित लिंक 'Print' पर क्लिक करते हुए आवेदक द्वारा प्रथम चरण(Step-1) की **ई–रसीद (e-Receipt) का प्रिन्ट आउट भविष्य के सन्दर्भ हेतु अनिवार्य रुप से प्राप्त किया जायेगा।**
- आवेदक द्वारा उक्त प्रिन्ट–आउट में अंकित दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुए पंजीकरण के 24 घण्टे (अथवा अगले कार्य दिवस) उपरान्त निम्नलिखित विवरणानुसार पंजीकरण धनराशि एवं आवेदन शुल्क के भुगतान की कार्यवाही की जायेगीं:–

  - ✓ Visit website www.upavp.com & click on link "Online Registration of Flats"
  - ✓ Click on link "Registration Fee Payment" of concerning scheme's webpage.
  - ✓ Select payment category as 'Registration' and provide Registration ID, then click on 'Submit' button.
  - ✓ Provide the required necessary details & click 'Submit'
  - ✓ After clicking on 'Confirm' button 'State Bank MOPS*' will be available.
  - ✓ Applicant can choose anyone option for making payment.

- उपरोक्तानुसार पंजीकरण धनराशि/आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त बैंक द्वारा परिषद खाते में धनराशि अंतरित होने की दशा में, आवेदक को Journal No./State Bank Collect Reference No./Transaction ID प्रदान किया जायेगा।

(**नोट**–डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक ''**उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद**'' के पक्ष में जोकि लखनऊ शहर में देय हो के पक्ष में होना चाहिए।)

*MOPS: Multi Option Payment System

द्वितीय चरण (Step-2) :

अंतिम रूप से आन–लाइन फार्म जमा करना (Finally Online Form Submission)

- आवेदक द्वारा प्रथम चरणानुसार(Step-1) पंजीकरण धनराशि/आवेदन शुल्क जमा करने के 24 घण्टे/पंजीकरण धनराशि परिषद खाते में अंतरित होने के उपरान्त पुनः परिषद वेबसाइट **www.upavp.com** के लिंक Online Registration For Flats पर जाकर संबंधित योजना के वेबपेज पर उपलब्ध लिंक 'Submit Application Details' पर क्लिक किया जायेगा।
- Login Panel के अंतर्गत आवेदक को अपना रजिस्ट्रेशन आई0डी0, पासवर्ड एवं Journal No./Refernece No./Transaction ID भरकर अपना आन–लाइन फार्म खोला जायेगा।
- आवेदक द्वारा अपने ऑन–लाइन आवेदन फार्म में अपना Scanned कलर फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड करते हुए अन्य आवश्यक सूचनायें दर्ज की जायेगी।
- तत्पश्चात आवेदक द्वारा अपना आन–लाइन पंजीकरण फार्म Recheck करते हुए 'Submit' करना होगा।
- आन–लाइन रजिस्ट्रेशन फार्म Finally Submit कर अपने आवेदन पत्र का प्रिन्टआउट दो प्रतियों में प्राप्त किया जायेगा।
- तत्पश्चात रजिस्ट्रेशन फार्म की प्रिन्टेड कॉपी की एक प्रति आवेदक द्वारा समस्त आवश्यक प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रतियों (फोटो आई0डी0 प्रमाण, जाति प्रमाणपत्र आदि) सहित निम्नांकित पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किये जायेगें :–

"उप आवास आयुक्त
सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय–वृन्दावन योजना
उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
आफिस काम्पलेक्स, वृन्दावन योजना,
रायबरेली रोड, लखनऊ (उ0 प्र0)–226025"